

ESIC 2.0



आई०पी०

हमारा

वी०आई०पी०

क्षेत्रीय कार्यालय बिहार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001

फोन नं०: 0612-2521928, फैक्स: 0612-2533314, ई-मेल : rd-bihar@esic.in

अतिमहत्वपूर्ण सूचना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक U-13/14ART/ESIC/38/14/med.I (vol.I) दिनांक 17.03.2017 के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान लाभार्थियों के लिए लागू किए गए हैं-

1. सड़क यातायात दुर्घटना, कार्यस्थल पर दुर्घटना से घायल व अन्य प्राण घातक इमरजेंसी में ई०एस०आई० के लाभार्थी टाई-अप अस्पताल में सीधे भर्ती होकर कौशलेश सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
2. टाई-अप अस्पताल शीघ्र इमरजेंसी (स्थिरिकरण) चिकित्सा प्रदान करेंगे एवं संबंधित ई०एस०आई० राज्य चिकित्सा आयुक्त (एस०एम०सी०) से ई-मेल द्वारा आगे की चिकित्सा हेतु अनुमति मांगेंगे।
3. राज्य चिकित्सा आयुक्त वहां के लिए एक समिति या अधिकारी को नामित करेंगे जो टाई-अप अस्पताल में उसी दिन या अगले कार्य के दिन पहचान व इमरजेंसी आदि की जाँच आगे की चिकित्सा हेतु सत्यापित करेंगे/संस्तुति देंगे।
4. सभी पहलुओं के सही पाए जाने पर ई०एस०आई० लाभार्थी के कौशलेश (Cashless) चिकित्सा हेतु टाई-अप (Tie-Up) अस्पताल को रेफरल (Referral) पत्र जारी कर दिया जाएगा।
5. इस प्रकार यातायात दुर्घटना, कार्यस्थल दुर्घटना व अन्य प्राणघातक इमरजेंसी में ई०एस०आई० लाभार्थी सीधे टाई-अप (Tie-Up) अस्पताल में चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं।
6. ई०एस०आई० टाई-अप अस्पतालों की अद्यतन सूची/जानकारी रखें।

अरविन्द कुमार
अपर आयुक्त
संपर्क - 9419295822

ESIC मेडिकल हेल्पलाईन - 1800113839

डॉ० अनीश सिंघल
राज्य चिकित्सा आयुक्त
संपर्क - 9818411331